न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 20/2018
2018/00088

प्रार्थीगण

1. औखाराम पुत्र रतनाराम कौम भील निवासी ओपा की ढाणी तहसील रानीवाडा

अप्रार्थीगण

1. नोनजीराम पुत्र जगाराम जाति कलबी निवासी दातवाडा तहसील रानीवाडा
2. श्रीमान तहसीलदार रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्राथी अधिवक्ता श्री रमेश कुमार गर्ग।
2. अप्रार्थी अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई।

– निर्णय :–

दिनांक – 21.11.2019

1. पत्रावली आज पेश हुई। उभय पक्षकार उपस्थित। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 आर.एल.आर एक्ट 1956 का पेश किया है, जिसके संक्षेप में तथा इस प्रकार हैः–
2. प्रार्थी की कब्जा सुदा पुश्तैनी आराजी मौजा ओपा की ढाणी तहसील रानीवाडा में आई हुई है। इसके खसरा नम्बर 1630, 1631, 1632 जुमले रकबा 3.23 हैक्टयर है। वर्तमान जमाबंदी में उक्त खसरानों में अन्य मेरे भाइयों का नाम दर्ज है लेकिन मौखिक बंट के अनुसार उक्त भुमि पर प्रार्थी का करीबन 15 साल से कब्जा है। अन्य खसरानों को आपसी सहमति से मेने 1630, 1631, 1632 के खातेदारों को दे दिया अर्थात मौखिक बंटवाडे में बनी सहमति के आधार पर मेरे भाई जो सहखातेदार है उन्होने मुझे 1630, 1631, 1632 की जमीन दी है। मैने राजस्व रेकर्ड में दर्ज अन्य खसरानों की जमीन सहखातेदारो की दे दी है। अप्रार्थी खातेदार ने खसरा नम्बर 1630 की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। हल्का पटवारी द्वारा समझाने पर भी अप्रार्थी छोड़ने पर राजी है तथा मेरी खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1630 की आराजी को हडपना चाहता है। अप्रार्थी राजनैतिक एवं बाहुबली प्रवृति का है। उसने खुल्ले शब्दो में धमकी दी कि मैं तेरी आराजी को कभी नही दुंगा चाहे जितनी कोशिश कर इस प्राकर प्रार्थी बेहद दुखी है अप्रार्थी की आए दिन खातेदारी आराजी को हडपने तथा मारपीट करने की धमकिया से त्रस्त को श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी के खसरा नम्बर 1630, 1631, 1632 की पैमाईश हेतु कमेटी गठित की जावे तथा पुलिस सुरक्षामय उक्त आराजी की पैमाईश करवाई जावे तथा स्थायी सीमा ज्ञान कर पत्थरगढी करने का आदेश फरमावे।
3. अप्रार्थी द्वारा जवाब में बताया कि प्रार्थी की पुश्तैनी आराजी अवश्य होगी, मगर प्रार्थी ने मौखिक बंट होने का कथन गलत वर्णित किया है। प्रार्थी ओखाराम ने सभी

सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया हैं तथा ओखाराम का विवादित आराजी खसरा नम्बर 1630, 1631, 1632 मे हिस्सा कितना आता हैं वह भी वर्णित नहीं किया है। इसलिये प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आवश्यक पक्षकारों का कुसंयोजन करके पेश किया होने से चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी ने सहखातेदारों की आपसी सहमति पत्र भी पेश नहीं किया है। खसरा नम्बर 1630, 1631, 1632 की जमीन प्रार्थी ने अपने स्वयं को देने की बात की है, जो कपोल कल्पित है। क्योंकि इसका कोई सबुत पेश नहीं किया है। सो प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारीज है।

4. प्रार्थी ने खसरा नम्बर 1630 पर अप्रार्थी का कब्जा होना माना है। अप्रार्थी का कब्जा होने की स्थिति में अप्रार्थी को कब्जे से हटाने का वाद पत्र या प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिये। कब्जा छोडने के लिए स्थायी सीमाज्ञान व पत्थर गड्डी का प्रार्थना पत्र पेश करना काबिल खारीज है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कपोल कल्पित तथ्य वर्णित किये है। बिना कोई रेकर्ड के रकबा 2.32 की आराजी प्रार्थी ने अपनी बताकर प्रार्थना पत्र पेश कर किया हैं तथा सहखातेदारों के पक्ष में या विपक्ष में कोई वाद पत्र या प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही कानूनीया नहीं की जा सकेगी। सो प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारीज है।
5. उभय पक्षकारान् अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया । बहस के तथ्यों पर मनन किया गया । प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संलग्न जमाबंदी में प्रार्थी खातेदार के रूप में दर्ज नहीं है। प्रार्थी ने स्वयं को पुश्तैनी आराजी का मौखिक बंट अनुसार खातेदार बताया है। अन्य सहखातेदारों को प्रार्थी द्वारा पक्षकारों के रूप में संयोजित नही किया है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के स्वय की रेकॉडेर्ड खातेदारी है। इसकी पुष्टि भी संलग्न दस्तावेजों के आधार पर नहीं होती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 9 सिविल प्रकिया संहिता के तहत प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकारों के संयोजन के अभाव में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 21.11.2019 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2019.12.23 20:49:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: